राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	260/2020, 268/2020 सुभाष / मदनलाल हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 1.	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11/11/20	आज यह पत्रावलीयां वास्ते आदेश प्रस्तुत हुई। संक्षिप्त में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है की वादी/रेस्पो. संख्या 1 द्वारा विरुद्ध प्रतिवादीगण/अपीलांट व रेस्पो.संख्या 2 लगायत 12 अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत तकासमाँ व स्थाई निषेधाज्ञा का इस आशय का प्रस्तुत हुआ। वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 व प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 9 के पिता की सयुक्त खातेदारी कृषि भूमि आराजी खसरा नम्बर 446 रकबा 0.7800 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 447 रकबा 0.5300 हैक्टेयर, कुल किता 02, उल रकबा 1.3100 हैक्टेयर, भमि वाके ग्राम रतनपूरा हरिपुरा, पटवार मण्डल गठवाडी, तहसील जमवारामगढ़, जिला जयपुर में स्थित है। मद संख्या 1 में वर्णित खातेदारी भूमि में वादी का सयुक्त हिस्सा 1/6 भाग व प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा 1/6 भाग तथा प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 9 के स्व. पिता महावीर पुत्र हनुमान का हिस्सा 2/3 भाग राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 9 के पिता महावीर का देहान्त हो चूका है, इसलिए प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 9 को आवश्यक पक्षकार बनाया गया है, और इसी कदर मौखिक रहकर काश्त करते चले आ रहे है, और इसी अनुपात में राजस्व लगान अदा करते आ रहे है, किन्तु उक्त भूमि जिन्हें आगे विवादित भूमियाँ कहाँ गया है, का विधिवत तकासमाँ नही हुआ है।प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 9 उक्त अविभाजित भूमि जिस पर की वादी अपने हिस्से पर काबिज है, दिनांक 27/05/2017 को एक जुटहोकर आये तथा भूमि के तारबन्दी करने तथा वादी की काबिज शुदा भूमि पर टेक्टर से फसल जोत करवाने लगे, तब वादी ने प्रतिवादीगणों से कहाँ कि, हम सभी अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्त है, तथा हम सभी क्यों न इस विवादित आराजीयात का विधिवत तकासमाँ करवा कर अपना राजस्व रिकार्ड में अलग-अलग खाता व लगान कायम करवा लेवे, जिससे कि, उक्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में तकासमाँ हो जावे, प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 9 ने किसी भी प्रकार के तकासमाँ करवाने की बात से कतई इनकार कर दिया तथा कहाँ कि, हमे कोई तकासमाँ नही करवाना है तुझे जो करवाना है, करवा ले, तथा वादी को धमकी दी कि, हम उक्त भूमि का तकासमाँ नही करवाएंगे, तथा बिना तकासमाँ के ही उक्त भूमि पर फसल काश्त कर करेंगे, हम संख्या व बाहुबल में तुझसे अधिक है, तथा उक्त भूमि पर तारबन्दी कर तुझे यंहा से बेदखल करके रहेंगे। वाद पत्र में वाद कारन अंकित करते हुए अंकन किया कि दिनांक 27/05/2017 को प्रतिवादीगण द्वारा दी गयी ऐलानिया धमकी तथा तकासमाँ करवाने की बात से कतई इंकार करने से उत्पन होकर आज तक लगातार जारी है। वाद पत्र के अंत में ईस्तदुआ की गयी कि वाद वादी विरुद्ध प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 9 इस अमर की डिक्री किया जाकर फरमाया जावे कि विवादित भूमि खसरा नम्बर 446 रकबा 0.7800 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 447 रकबा 0.5300	

राजस्व अपील प्राधिकारी जिला जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	260/2020, 268/2020 सुभाष / मदनलाल हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 2.	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

हैक्टेयर, कुल किता 02, उल रकबा 1.3100 हैक्टेयर, भूमि वाके ग्राम रतनपूरा हरिपुरा, पटवार मण्डल गठवाडी, तहसील जमवारामगढ़, जिला जयपुर का विधिवत तकासमाँ वाद खण्ड 2 (दो) अनुरूप हिस्सानुसार बाई मीट्स एण्ड बाउड्स किया जाकर, राजस्व रिकार्ड व लगन अलग-अलग कायम किया जावे एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 9 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा का प्रतिबंधित फरमाया जावे। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत होने पर प्रतिवादीगण की तलबी जारी करने का आदेश दिया गया एवं तत्तपश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली लोक अदालत केम्प में नियत की जाकर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 की सहमती के आधार पर अपने निर्णय दिनांक 25/06/2017 के माध्यम से वादी का वाद प्राथमिक डिक्री करते हुये अंकित किया कि "वादी मदनलाल व प्रतिवादिया मीरा देवी केम्प गठवाडी में उपस्थित होकर निवेदन किया कि हम दोनों पक्ष आपस में उक्त भूमि का तकासमाँ कराने में सहमत है इसलिये पत्रावली पर पुन: विचार किया जाकर तकासमाँ किया जावे। पत्रावली पर लोक अदालत की भावना से पुन: विचार किया गया। वादी एवं प्रतिवादीया संख्या 1 मीरा देवी स्वयं उपस्थित। शेष प्रतिवादीगण उपस्थित नही। लोक अदालत की भावना के मध्य नजर रखते हुये व त्वरित निस्तारण हेतु वाद में प्राथमिक डिक्री किया जाना उचित समझते है अत: वादग्रस्त भूमि आराजी खसरा नम्बर 446,447 वाके ग्राम रतनपुरा हरिपुरा तहसील जमवारामगढ़ में उभयपक्षों के राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार मौके पर कब्जे को ध्यान में रखते सरस नरस के आधार पर वाद को प्राथमिक डिक्री किया जाता है। तथा तहसीलदार जमवारामगढ़ को निर्देश दिये जाते है की वे दोनों पक्षों को सूचित करते हुये उनकी मोजुदगी में कुरेजात के प्रस्ताव तैयार कर भिजवाये।" तत्तपश्चात प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 9 के बावजूद सुचना अनुपस्थित रहने से एवं तहसीलदार से कुरेजात रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात उपस्थित उभयपक्षों की सुनवाई कर अपने आदेश दिनांक 07/12/2017 के माध्यम से मुताबिक कुरेजात रिपोर्ट वादी का वाद अन्तिम डिक्री कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री दिनांक 25/06/2017 एवं अन्तिम डिक्री दिनांक 07/12/2017 के विरुद्द प्रतिवादी संख्या 4/अपीलार्थी द्वारा पृथक-पृथक दो अपीले इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी। जिस पर बहस अभिभाषक पक्षकारान समायत की गयी।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी की तामिल करवाये बगैर अपीलाधीन दोनों निर्णय व डिक्रिया गलत रूप से पारित की गयी है। जिसकी जारी होते ही अपीलार्थी द्वारा यह अपीले जानकारी से अन्दर मियाद प्रस्तुत कर दी गयी है। ऐसे में अपीलार्थी द्वारा अपीले प्रस्तुत करने में जो देरी हुई है वह जानकारी के अभाव में हुई देरी है। जिससे न्यायहित में क्षमा किया जाकर

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
260/2020, 268/2020	सुभाष / मदनलाल 3.	

दोनों अपीले अन्दर मियाद शुमार किया जावे | अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस में आगे निवेदन किया कि वादी/रेस्पो. संख्या 1 द्वारा विवादग्रस्त भूमि आराजी खसरा नम्बर 446,447 में खरीद की गयी है जबकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपनी अपीलाधीन डिक्रियो के माध्यम से वादी/रेस्पो. संख्या 1 को सम्पूर्ण भूमि खसरा नम्बर 447 में ही दे दी गयी | जो स्पष्ट रूप से अनुचित है अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस में आगे निवेदन किया कि अपीलार्थी को सुने बिना पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्रिया विधि विरुद्ध होने से निरस्त की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को अपीलार्थी की सुनवाई के पश्चात पुन: निर्णय हेतु प्रतिप्रेषित किया जावे |

अधिवक्ता रेस्पो. ने अपनी बहस के प्रारम्भ में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 25/06/2017 एवं 07/12/2017 को प्रकरण में जारी की गयी है जिसकी अपीले अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 04/08/2020 को प्रस्तुत की गयी है जो लगभग 3 वर्ष से अधिक समय पश्चात प्रस्तुत की गयी है अथार्त अतिमियाद बाहर प्रस्तुत की गयी है | अधि. रेस्पो. ने हमारा ध्यान अपीलार्थी द्वारा अपीलों के साथ प्रस्तुत दफा-5 कानून मियाद के प्रार्थना पत्र की और आकर्षित करा कर बहस में निवेदन किया कि प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के पैरा नम्बर-4 में अंकित किया है कि उन्हें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 14/06/2020 को गिरदावर द्वारा प्रार्थी के चाचा श्री कैलाशचन्द मीणा जो कि राजस्थान पुलिस के हैड कांस्टेबल हैं के मोबाईल पर यह सूचित करने पर हुआ है कि पटवारी हल्का एवं स्वयं गिरदावर दिनांक 15/06/2020 को विवादित भूमि पर पत्थरगढ़ी करने आयेंगे, इस पर प्रार्थी के चाचा ने प्रार्थी को सूचित किया | अभि. रेस्पो ने उक्त पार्थना पत्र के पैरा नम्बर 7 की और हमारा ध्यान आकर्षित करा कर निवेदन किया कि उकर पैरा में प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा अंकित किया गया है कि दिनांक 15/06/2019 गिरदावर व पटवारी हल्का द्वारा मौके पर बताये गये तथ्यों की जाँच करने पर दिनांक 19/06/2020 को आवेदन बाबत प्रमाणित प्रतिलिपि सम्पूर्ण पत्रावली हेतु प्रस्तुत किया | जिस पर दिनांक 22/06/2020 को प्रार्थी को प्रमाणित प्रतिलिपिया प्राप्त हुई और प्रार्थी ने तत्तसमय प्राप्त परामर्श के अनुसार विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 07/07/2020 को आवेदन अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 जाप्ता प्रस्तुत कर दिया | इससे स्पस्ट है कि प्रार्थी/अपीलार्थी को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों की जानकारी दिनांक 15/06/2020 को ना होकर दिनांक 15/06/2019 को हो गयी थी | दिनांक 15/06/2019 को जानकारी हो जाने के पश्चात एक वर्ष 2 माह तक की प्रत्येक दिन की विलम्ब का कोई कारण प्रार्थना पत्र में उल्लेखित नही किया गया है , न ही बहस के दौरान कोई स्पष्टीकरण दिया गया है, जिससे अपील विलम्ब से प्रस्तुत की गयी है

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	260/2020, 268/2020 सुभाष / मदनलाल हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज 4.	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

जिसका लाभ प्रार्थी/अपीलार्थी को नही दिया जा सकता अपीलार्थी द्वारा अपीलों के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा-5 कानून मियाद को ख़ारिज फरमाया जाकर अपीले मियाद बाहर प्रस्तुत होने से ख़ारिज फरमाई जावे। अपने कथन के समर्थन में अभिभाषक रेस्पो. ने 2013(1) RRT 61, 2009(1) RRT488, 2015(1) RRT-232, RRD 1999-152, RRD 2002-311 उद्धरित की।

हमने बहस अभिभाषक पक्षकारान पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अभिभाषक रेस्पो की बहस के परिपेक्ष में अपीलों के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा-5 कानून मियाद का मनन किया गया। जिससे अभिभाषक रेस्पो द्वारा बहस के दौरान उठाई गयी आपत्तियो की पुष्टि होती है अथार्त प्रार्थी/अपीलार्थी को निर्णय जैर अपीलों की जानकारी उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा-5 कानून मियाद में उल्लेखित तथ्य के अनुसार दिनांक 15/06/2019 को ही हो गयी थी एवं अपीले दिनांक 04/08/2020 को अथार्त अपीले एक वर्ष 39 दिन पश्चात प्रस्तुत की गयी है जो अतिविलम्ब से प्रस्तुत की गयी है। यदपि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय क्रमशः 25/06/2017 एवं 07/12/2017 के है किन्तु यदि जैसा की प्रार्थना पत्र दफा-5 में अंकित जानकारी की दिनांक 15/06/2019 तक का समय भी बाद दे दिया जावे तो भी एक वर्ष 35 दिवस जानकारी की दिनांक से और विलम्ब से अपीले प्रस्तुत किये जाने के सन्दर्भ में कोई स्पष्टीकरण या उचित वजह न तो प्रार्थना पत्रों में अंकित की गयी है, न ही बहस के दौरान इस सन्दर्भ में अभिभाषक प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा कोई उचित वजह स्पष्ट की गयी है। जिससे स्पष्ट रूप से अपीलों के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा-5 कानून मियाद manupulated तथ्यों पर आधारित सिद्द होते है, जिसका लाभ प्रार्थी/अपीलार्थी को नही दिया जा सकता।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर दोनो अपीलों के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा-5 कानून मियाद ख़ारिज किये जाते है। फलस्वरूप दोनो अपील अपीलार्थी अतिमियाद बाहर प्रस्तुत होने से ख़ारिज की जाती है एवं अपीलाधीन निणर्य व डिक्रिया क्रमशः दिनांक 25/06/2017 एवं 07/12/2017 यथावत रखे जाते है। आदेश की एक-एक प्रति दोनों पत्रावलियो पर सलग्न की जावे।

पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 11/11/2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील अधिकारी जिला जयपुर